

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ०४ मार्च, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-71 से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु परिवहन लागत मद में चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-म०भो०प्रा०/5608/2017-18 दिनांक 17.01.2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणानुसार परिवहन दावों के भुगतान हेतु धनराशि रू०-474.04 लाख (रूपया चार करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा. 00-के.)-20-सहायता अनुदान/सामान्य(गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
देव प्रताप सिंह

( देव प्रताप सिंह )  
विशेष सचिव।

वित्त नियंत्रक

कृ. आ. शा. हेतु।



8-3-18

(अब्दुल समद)

निदेशक

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पूष्ठांकन संख्या-185(1)/79-6-2018-1620/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 2- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 3- श्रम आयुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 7- नियोजन विभाग अनुभाग-4, उ०प्र० शासन ।
- 8- वित्त ई-11 अनुभाग, उ०प्र० शासन ।
- 9- बजट अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
- 10- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 11- संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ०प्र० ।
- 12- संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ०प्र० ।
- 13- संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग ।
- 14- राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ०प्र० लखनऊ ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( उमेश कुमार तिवारी )  
अनु सचिव ।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: ०४ मार्च, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-71 से मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु परिवहन लागत मद में चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-म०भो०प्रा०/5608/2017-18 दिनांक 17.01.2018 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणानुसार परिवहन दावों के भुगतान हेतु धनराशि रू०-474.04 लाख (रूपया चार करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा. 00-के.)-20-सहायता अनुदान/सामान्य(गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( देव प्रताप सिंह )  
विशेष सचिव।

पूष्ठांकन संख्या-185(1)/79-6-2018-1620/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद ।
- 2- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 3- श्रम आयुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग ।
- 7- नियोजन विभाग अनुभाग-4, उ०प्र० शासन ।
- 8- वित्त ई-11 अनुभाग, उ०प्र० शासन ।
- 9- बजट अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
- 10- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 11- संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ०प्र० ।
- 12- संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ०प्र० ।
- 13- संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग ।
- 14- राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ०प्र० लखनऊ ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



( उमेश कुमार तिवारी )

अनु सचिव ।

७

Enclosure of G.O.

10/11

**[Mid-Day-Meal Scheme]**  
**Fund Allocation for Cost of Transportation**  
**FY 2017-18: Grant-71, PLAN: 4th Installment**  
**(Rs. In Lac)**

Sl. No.	Districts	Funds for Cost of Transportation is Being Released as 4 <sup>th</sup> Installment
1	2	5
1	01-Agra	7.79
2	02-Aligarh	2.87
3	03-Allahabad	12.80
4	04-Ambedkar nagar	6.56
5	05-Auraiya	5.61
6	06-Azamgarh	5.33
7	07-Badaun	12.27
8	08-Baghpat	2.59
9	09-Bahraich	3.32
10	10-Ballia	4.91
11	11-Balrampur	6.72
12	12-Banda	7.35
13	13-Barabanki	5.98
14	14-Bareilly	4.91
15	15-Basti	3.69
16	16-Bhadohi	5.07
17	17-Bijnour	3.17
18	18-Bulandshahar	10.12
19	19-Chandauli	5.44
20	20-Chitrakoot	5.71
21	21-Amethi	5.18
22	22-Deoria	32.90
23	23-Etah	4.27
24	24-Faizabad	5.46
25	25-Farrukhabad	6.64
26	26-Fatehpur	6.76
27	27-Firozabad	4.52
28	28-G.B. Nagar	2.78
29	29-Ghazipur	9.77
30	30-Ghaziyabad	2.74
31	31-Gonda	6.36
32	32-Gorakhpur	12.56
33	33-Hameerpur	4.87
34	34-Hardoi	16.04
35	35-Hathras	4.19
36	36-Itawah	3.70
37	37-J.P. Nagar	5.08
38	38-Jalaun	4.30

(अश्विनी कुमार श्रीवास्तव)  
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी  
मध्यमार्ह भोजन प्राधिकरण  
उ०प्र० लखनऊ

(अनूप कुमार शुक्ल)  
समीक्षा अधिकारी  
शिक्षा विभाग-६

Sl. No.	Districts	Funds for Cost of Transportation is Being Released as 4 <sup>th</sup> Installment
1	2	5
39	39-Jaunpur	12.10
40	40-Jhansi	4.40
41	41-Kannauj	0.00
42	42-Kanpur Dehat	0.00
43	43-Kanpur Nagar	3.57
44	44-Kaas Ganj	3.17
45	45-Kaushambi	4.88
46	46-Kushinagar	10.58
47	47-Lakhimpur Kheri	10.58
48	48-Lalitpur	8.17
49	49-Lucknow	6.19
50	50-Mahoba	4.91
51	50-Mahoba	0.40
51	51-Mahrajganj	3.94
52	52-Mainpuri	5.01
53	53-Mathura	2.24
54	54-Mau	2.82
55	55-Meerut	8.87
56	56-Mirzapur	6.18
57	57-Moradabad	5.20
58	58-Muzaffarnagar	5.20
59	59-Pilibhit	4.22
60	60-Pratapgarh	4.55
61	61-Rai Bareilly	2.06
62	62-Rampur	5.67
63	63-Saharanpur	3.23
64	64-Santkabr Nagar	10.30
65	65-Shahjahanpur	2.74
66	66-Shrawasti	23.81
67	67-Siddharthnagar	0.00
68	68-Sitapur	9.35
69	69-Sonbhadra	9.77
70	70-Sultanpur	9.68
71	71-Unnao	9.88
72	72-Varanasi	4.96
73	73-Sambhal	0.95
74	74-Hapur	4.13
75	75-Shamli	474.04
Total		

(अमित कुमार श्रीवास्तव)  
 मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी  
 मध्याह्न भोजन प्राधिकरण budget. 2018  
 उ०प्र० लखनऊ

(उमेश कुमार तिवारी)  
 अनु सचिव।